►प्रथम मतदान अधिकारी के कर्त्तव्य –

1 प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति (मार्कड) कापी का भार साधक होगा।

2 निर्वाचक की पहचान के लिए प्रथम मतदान अधिकारी उत्तरदायी होगा।

3 निर्वाचक की पहचान निर्वाचक नामावली को देखकर उसी के संदर्भ मे करनी है।

4 मतदान के लिये मतदाता के सूची मे नाम के साथ पहचान के लिए फोटो युक्त पहचान पत्र आवश्यक है।
ये EPIC के अतिरिक्त 12 अन्य फोटो युक्त पहचान पत्र निर्धारित किये गये है ।

5 अशसकीय पर्ची आपको निर्वाचक नामावली मे उसकी प्रविश्टियो को ढूंढने मे मदद करेगी।

6 प्रथम मतदान अधिकारी मतदाता की प्रविश्टि की क्रम संख्या को जोर से बोलेगा।सम्बन्धित प्रविश्टि भी पूछ सकेगा। ताकि वास्तविक मतदाता की पहचान पक्की हो जाए।

7 प्रथम मतदान अधिकारी मतदाता सूची मे फोटो को छोडते हुए प्रत्येक मतदाता की प्रविश्टि पर लाल स्याही से तिरछी लाइन लगाएगा ।

8 महिला मतदाता के सूची कमांक पर गोला भी बनाएगा।ट्रान्सजेण्डर मतदाता की प्रविश्टि पर स्टार चिन्ह भी बनाएगा।

9 प्रथम मतदान अधिकारी का कार्य .अगर कोई मतदाता Epic कार्ड लाता है तो मार्कड कोपी मे बायी ओर E लिखेगा।
यदि कोई मतदाता 12 अन्य फोटो युक्त पहचान पत्र लाता है तो मार्कड कोपी मे बायी ओर D लिखेगा।

10 मतदाता सूची फोटो युक्त है , यदि इसमे मुद्रण मे त्रुटिवश , फोटो , आयु , लिंग , नाम गलत मुदित हो गया है लेकिन पहचान सुनिचित हो गई है तो वोट देने के लिए अनुमति दे। यानी मतदाता वोट देगा ।

प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा पहचान सुनिश्चित हो जाने पर इसे चुनौती नही दी जा सकती।

►द्वितीय मतदान अधिकारी के कर्त्तव्य –

Imp.-17 क रजिस्टर में प्रथम मतदाता की प्रविष्टि दर्ज करने से पहले मॉक पोल का डाटा क्लियर कर दिया गया है एवं 0 शून्य मत दर्ज है का प्रमाण पत्र लिखा जाना है।

1 द्वितीय मतदान अधिकारी मतदाता रजिस्टर (17क) एवं अमिट स्याही का भार साधक होगा।

2, उसके बायी हाथ की तर्जनी के नाखुन एवं चमडी के युग्म (1गट तक) अमिट स्याही का निशान लगाएगा।

3 मतदाता रजिस्टर 17क मे वोटर लिस्ट का कमांक लिखेगा। मतदाता के हस्ताक्षर या अंगुठा निशानी लेगा (बाये हाथ का अंगुठा) मतदाता के हस्ताक्षर का मतलब हस्ताक्षर स्पष्ट हो। । आवश्यक होने पर टिप्पणी भी लिखेगा । जैस. ASD वोटर

4 मतदाता रजिस्टर 17 क मे यदि मतदाता Epic कार्ड दिखाकर वोट दिया है तो EP , अन्य दस्तावेज के आधार पर वोट देता है तो अन्य उसे लिखते हुए उसके अंतिम चार अंक लिखेगाा।

5 उक्त कार्य करने के बाद द्वितीय मतदान अधिकारी एक वोटर स्लीप मतदाता को दगा। उस पर ☻1.वोटर की 17 क रजिस्टर की कम संख्या☻ 2. वोटर लिस्ट की कम संख्या ☻3. अपने लघु हस्ताक्षर करेगा।

अंतिम मतदाता के मतदान के पश्चात 17 क रजिस्टर में कुल डाले गए मतों की संख्या एवं ASD वोटर की संख्या जिन्हें वोट देने की अनुमति दी गई को दर्ज किया जाना है

►तृतीय मतदान अधिकारी के कर्त्तव्य –

1 इनके पास कंट्रोल यूनिट होगी। कंट्रोल यूनिट का भार साधक होगा।

2 तृतीय मतदान अधिकारी मतदाता से वोटर स्लीप प्राप्त कर कमबद्ध सुरक्षित रखेगा। 50 होते ही रबड बैंड लगा देगा।

3 कंट्रोल यूनिट का बटन दबाकर (बैलट बटन) मतदाता को वोट देने के लिए वोटिंग कम्पार्टमेन्ट मे भेज देगा।

4 कंट्रोल यूनिट से बीप की आवाज आने तक वोटिंग कम्पार्टमेन्ट मे रोकेगा। बीप की आवाज आने का मतलब वोट कास्ट हो गया है।

5 वोटिंग कम्पार्टमेन्ट से वापस आते ही अमिट स्याही को चेक करेगा।